एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक कृष्ण पक्ष, अमावस
मंगलवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

26 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

एबीवीपी ने पहली बार छात्रा को चुना राष्ट्रीय महामंत्री

आगरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में निधि त्रिपाठी बनी नई महामंत्री
नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने सोमवार को आशीष चौहान को अपना राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया है। इस पद पर पहले सुनील अम्बेकर थे जो अब नई जिम्मेदारियां निभाएंगे। आगरा में एबीवीपी के 65वें सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। इसके साथ ही के रघुनंदन को भी संघ में नए दायित्व के निर्वहन के लिए भेज दिया गया है। संगठन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी छात्रा को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। निधि त्रिपाठी ने इसी अधिवेशन में घोषणा के बाद राष्ट्रीय महामंत्री का कार्यभार संभाला। 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में होगा। इसकी घोषणा सोमवार को 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन के आखिरी दिन संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने की। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन 'महिला विमर्श और युवा' विषय पर भाषण सत्र हुआ। इसमें संगठन की अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने कहा कि ईश्वर और स्त्री में ही निर्माण की शक्ति है। भगवान सृष्टि की और स्त्री मानव का निर्माण करती है। उन्होंने देश आज फिर से विश्व गुरु बनने लिए प्रशस्त है, इसका बड़ा कारण महिलाओं का सभी क्षेत्रों में योगदान है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'दिल्ली में वहीं बनेगा गुरु रविदास का स्थायी मंदिर'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में स्थित गुरु रविदास मंदिर के स्थायी निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। मंदिर को डीडीए द्वारा 10 अगस्त को कोर्ट के आदेश के बाद ढहाया गया था।

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने तुगलकाबाद वन क्षेत्र में गुरु रविदास मंदिर का स्थायी ढांचा बनाने की सोमवार को अनुमति दे दी। इससे पहले केंद्र ने लकड़ी का पोर्टा केबिन बनाने का सुझाव दिया था। शीर्ष अदालत ने मंदिर परिसर के अंदर गुरु रविदास तालाब की बाड़बंदी की याचिका को भी मंजूरी दे दी ताकि यह परिसर का हिस्सा हो सके। कोर्ट ने कहा कि गुरु रविदास के श्रद्धालुओं को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और एजेंसियां मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 21 अक्टूबर के अपने निर्णय में संशोधन किया जिसमें लकड़ी का पोर्टा केबिन बनाने का जिक्र किया गया था। कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह और विराग गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 21 अक्टूबर को अदालत की सुनवाई के दौरान सूचित किया था कि लकड़ी से बने पोर्टा केबिन के केंद्र की पेशकश उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत भी सहमत थी कि मंदिर स्थायी ढांचा होगा लेकिन यह 21 अक्टूबर के फैसले में नहीं कहा गया। केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने सिंह और गुप्ता के हलफनामे का विरोध नहीं किया जिसके बाद अदालत ने अपने पहले के आदेश में संशोधन के निर्देश दिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सुप्रीम कोर्ट के नौ अगस्त के फैसले के बाद मंदिर को ढहा दिया था। तब अदालत ने कहा था कि गुरु रविदास जयंती समारोह ने शीर्ष अदालत के पहले के फैसले के मुताबिक वन क्षेत्र को खाली नहीं कर 'गंभीर अवज्ञा' की है। मंदिर ढहाए जाने का राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया गया था। केंद्र ने पहले मंदिर निर्माण के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन की पेशकश की थी लेकिन बाद में श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 400 वर्गमीटर का संशोधित प्रस्ताव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ही 5 अक्टूबर को मंदिर का समाधान निकालने के लिए केंद्र से कहा था। आज उसी की अगली तारीख थी, जिस पर केंद्र सरकार ने जमीन देने की बात कही। इश निर्णय के साथ ही ये मामला अब सुलझ गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हटाया था

बता दें कि यह मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया था। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद जंगली इलाके को खाली नहीं करके गंभीर उल्लंघन किया है। गुरु रविदास जयंती समारोह समिति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस में सर्वोच्च अदालत ने डीडीए से 10 अगस्त तक वहां से निर्माण को हटाने का आदेश दिया था।

राम मंदिर पर 'अपराजित अयोध्या' फिल्म बनाएंगी कंगना रनौत

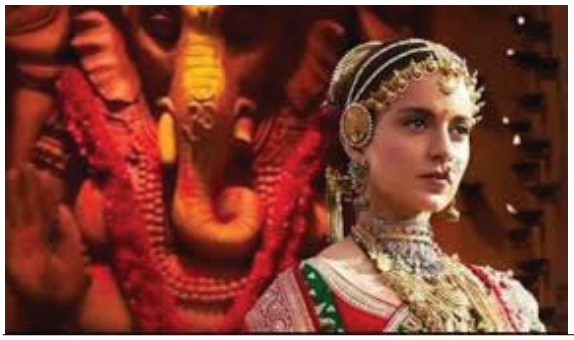

नायक के अयोध्या मामले के चलते नास्तिक से आस्तिक बनने की कहानी होगी अपराजित अयोध्या, बाहुबली फिल्म के लेखक ने लिखी है कहानी
मुंबई

मणिकर्णिका से डायरेक्शन की शुरूआत करने वाली कंगना रनौत ने फिल्म अब वो प्रोडक्शन भी प्रारंभ करने जा रही हैं। कंगना ने मणिकर्णिका के नाम से प्रोडेक्शन हाउस खोला है। वो अब पहली फिल्म प्रोड्यूस करने जा रही हैं। ये फिल्म अयोध्या राम मंदिर केस पर आधारित है। फिल्म का नाम 'अपराजित अयोध्या'होगा।

कंगना रनौत की इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से प्रारंभ होगी। बाहुबली फिल्म लिखने वाले केवी विजेंद्र प्रसाद ही इस फिल्म के लेखक हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा- राम मंदिर का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। 80 के दशक में पैदा हुए बच्चे के रूप में मैं अयोध्या का नाम निगेटिव लाइट से सुनकर बड़ी हुई हूं। इस मामले ने भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया। राम मंदिर के निर्णय ने भारत में सदियों पुराने विवाद को समाप्त कर दिया है। ये मुद्दा एक तरह से मेरी पर्सनल जर्नी को दिखाता है।

अपराजित अयोध्या को जो बात अलग बनाती है वो ये है कि ये एक हीरो के नास्तिक से आस्तिक होने की यात्रा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए ये सबसे सही विषय होगा। कंगना रनौत ने फिल्म मणिकर्णिका से डायरेक्शन शुरू किया था अब वो प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ करने जा रही हैं। ने मणिकर्णिका के नाम से प्रोडेक्शन हाउस खोला है।